FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सुधीर विलियम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :—वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट

मु.नं. एवं सन 157/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
05-10-2023	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र/वादपत्र का संक्षित सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी सुधीर विलियम निवासी 23 बीडी ए मु0नं0 74/28, 74/27 की 25.00 बीघा भूमि में से अपनी पुत्री सोनिया को दिनाक 1.6.2020 को मु0नं0 74/27 का रकबा 15.00 भेंट किया हुआ है। गिफ्ट के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में पटवारी ने उक्त सारी भूमि सोनिया पुत्री सुधीर विलियम के नाम दर्ज कर दी। मु0नं0 74/28 से संबंधित शुद्धि करने का निवेदन किया है। वादपत्र सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चक 23 बीडी ए मु0नं0 74/27,28 सोनिया पुत्री सुधीर विलियम जाति नायक निवासी 23 बीडी ए के नाम अंकन दर्ज है जबकि दानपत्र के पंजीयन के मुताबिक मु0नं0 74/27 का रकबा 3.6417 है0 दान सोनिया पुत्री सुधीर विलियम को किया गया था। लेकिन सहवनीय मु0नं0 74/27 के साथ ही मु0नं0 74/28 भी अंकन हो गया। जिसकी शुद्धि की जानी उचित है। प्रार्थी की पुत्री सोनिया ने इस प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त दुरुस्ती की जाती है तो मिकरा सोनिया को कोइ उज्र एतराज नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के पक्ष में उक्त दानपत्र की छायाप्रति, नामान्तर की प्रति प्रस्तुत की। दानपत्र अनुसार प्रार्थी ने पुत्री सोनिया को चक 23 बीडी ए मु0नं0 74/27 के किला नं0 1 ता 15 की 14.14 बीघा मय खाला कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को गिफ्ट किया है एवं नामान्तरण अनुसार मु0नं0 74/27,28 की प्रार्थी के नाम दर्ज समस्त भूमि पुत्री सोनिया के नाम दर्ज कर दी	

गई है जो कि सहवन से दर्ज हुई प्रतीत होती है जिसकी दुरुस्ती की जानी न्यायोचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन मनन किया गया। उक्त अवलोकनोपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में चक 23 बीडी ए मु0नं0 74/28 का रकबा जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सोनिया पुत्री सुधीरविलियम जाति नायक निवासी 23 बीडी ए तहः खाजूवाला के नाम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है, को सोनिया के नाम से हटाकर पुनः सुधीर विलियम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज के आदेश किये जाते है एवं शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला उक्त दुरुस्ती आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।